बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–03.07.2015 को विकास आयुक्त, बिहार (मुख्य सचिव के प्रभार में) की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
3. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
4. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
5. सचिव, उर्जा विभाग
6. सचिव, जल संसाधन विभाग
7. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
8. संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
9. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग
10. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
11. कार्यपालक अभियंता(मो0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दक्षिण--पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :–

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने दक्षिण–पश्चिमी मॉनसून के आगमन की सूचना देते हुए बताया कि राज्य में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। अगले सप्ताह 15 से 16 प्रतिशत वर्षापात में कमी होने की संभावना है। माह जून–जुलाई के तुलना में माह अगस्त–सितम्बर में वर्षापात में कमी अधिक होगी। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में अत्यन्त कम वर्षापात के एवं देश में सामान्य वर्षापात के बावजूद राज्य में कम वर्षापात होने के कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया गया ।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध 68.46 प्रतिशत, धान का आच्छादन 2.50 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 40.54 प्रतिशत हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा है। उनके द्वारा बताया गया कि

आवश्यकता पड़ने पर Community Nursery से भी बिचड़ा लिया जा सकता है। मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ–साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के अन्तर्गत ₹200 करोड़ की राशि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया की डीजल सब्सिडि के वितरण की कार्रवाई में तेजी लाया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में वर्षापात की स्थिति अच्छी नहीं है तथा आच्छादन की स्थिति अच्छी नहीं है उन क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जाए। चारे के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रखंडवार आच्छादन प्रतिवेदन एवं वर्षापात का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 10000 राजकीय नलकूपों के विरूद्ध मात्र 2800 नलकूप ही कार्यरत है। जिससे 1.12 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा सकता है। यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही Channels की मरम्मति का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रत्येक डिवीजन में नलकूपों की मरम्मति हेतु 1–1 लाख रूपये आवंटित किए हैं।

विकास आयुक्त द्वारा पृच्छा की गई कि सरकारी नलकूपों को चलाने के लिए पर्याप्त कर्मी उपलब्ध हैं या नहीं। प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि नलकूपों को पंचायत के माध्यम से चलाने की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् में भेजे जाने हेतु संलेख तैयार कर लिया गया है। विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मति एवं Channels की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए। प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से उपर्युक्त के संबंध में एक कार्ययोजना तथा प्रत्येक सप्ताह बैठक में नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी। विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि प्रति नलकूप कितनी सिंचाई हुई है एवं नलकूपों से कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई है इसका विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक बैठक में उपलब्ध कराया जाए।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 15 से 18 घंटे बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है। कुल 506 जले हुए ट्रांसफॉर्मर के विरूद्ध 495 ट्रांसफॉर्मर को बदल दिया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा नाबार्ड फेज – XI के 2056 नलकूपों एवं नाबार्ड फेज – VIII के 597 नलकूपों को उर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता (मो0) द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू–जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह मई 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू–जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। माह जून 2014 की तुलना में राज्य के 10 जिलों में यथा रोहतास, औरंगाबाद, कैमुर, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय एवं बांका में जलस्तर में 1 से 3 फीट गिरावट हुई है। नये चापाकलों का अधिष्ठापन एवं पुराने चापाकलों की लघु मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है। विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवतापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मति करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय। साथ ही टैंकरों से पानी पहुँचाने हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए। उनके द्वारा वर्ष 2013 में जिस विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिया जाता था उसी प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशुचारे की कोई कमी नहीं है एवं पशु दवा जिलों में उपलब्ध है। पशुचारे हेतु 4 जिलों में पशुचारे की निविदा हो चूकी है शेष जिलों में कार्रवाई की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। वर्षा की कमी के कारण पशु चारे की कमी होना संभावित है। वर्षा के अभाव में पशुओं के लिए जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि राजकीय नलकूप, तालाब, जलाशय को चिह्नित कर पशु शिविर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर ली जाय। साथ हीं चारे की आपूर्ति हेतु सभी जिलों में निविदा द्वारा दर निर्धारण की कार्रवाई शीघ्र कर ली जाए।

7. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 106140 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 5000 तथा 2000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्त्तमान में कुल 53500 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 5200 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 1000 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 300 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 7000 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 2500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 10100 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 3620 घनसेक तथा पश्चिमी

नहर प्रणाली में 6480 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति अच्छी नहीं है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक–26.06.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक–03.07.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	448.70	483.50
2	बदुआ	89000	366.20	387.70
3	ओढ़नी	33550	392.80	396.10
4	ऑजन	20030	367.00	369.80
5	बेलहरना	11805	Below D.S.L	430.90
6	खड़गपुर झील	13200	206.80	208.60
7	विलासी	23400	287.10	289.60
8	मोरवे	10800	246.00	247.20
9	नागी	7700	Below D.S.L	422.00
10	गरही जलाशय	68500	523.20	530.50
11	कोहिरा	22210	Below D.S.L	313.00
12	बटाने	48600	Below D.S.L	Below D.S.L
13	फुलवरिया	41563	568.80	569.60
14	नकटी जलाशय	11320	Below D.S.L	432.00

विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि किस नहर प्रणाली एवं जलाशय से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो रही है तथा कितना पानी दिया जा सकता है उसका क्षेत्रवार आकलन कर प्रतिवेदित करें और नहर की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मति भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उनके द्वारा वर्ष 2013 में जिस विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिया जाता था उसी प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

9. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत 1963 योजनाएं वर्त्तमान में चल रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत water recharge से संबंधित योजनाएं यथा तालाब, आहार–पाईन, नाला एवं वृक्षारोपण आदि की कार्य किये जा सकते हैं। इस हेतु State Pool में राशि उपलब्ध है। विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि जिन क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाए।

10. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विकास आयुक्त के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को शताब्दि अन्न कलश योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 – 2 क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनप्रणाली विकेता के पास रखवाने का निदेश दिया गया है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 17.07.15 को 5.30 बजे अपराह्न आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(एस0के0नेगी)
विकास आयुक्त
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014-2519/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 7/7/15

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/15
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव